




भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-79/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख सा
14.08.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 1.9.2018 को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख 1.9.2018 को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  14.8.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </div>	
19.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक 35 (B) दिनांक 07.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रंजीत सामन्त, पिता स्व० सोनाराम सामन्त, जाति-तमडिया (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-मनीपुर, थाना मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-मनोहरपुर, थाना नं०-90, खाता नं० 1161, खाता नं० 1163 प्लॉट नं० 2313, प्लॉट नं० 2314 रकवा:-0.03 ए०, रकवा:-0.02 ए० क्रेता गोविन्दा महतो पिता-स्व० मोहन महतो, जाति-कुरमी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-डोमलाई, पो०- लाईलोर, थाना-मनोहरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक रंजीत सामन्त, पिता स्व० सोनाराम सामन्त, जाति-तमडिया (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-मनीपुर, थाना मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता का जाति तमडिया (अ.पि.वर्ग.) एवं क्रेता का जाति कुरमी (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 8.34 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता क्रेता गोविन्दा महतो पिता-स्व० मोहन महतो, जाति-कुरमी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-डोमलाई, पो०- लाईलोर, थाना-मनोहरपुर, जिला- प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">लेखापित</p>  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  19.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर </div> </div>	